13-5-2016

राजस्व लोक अदालत नियम आदेश द्वारा के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत रामपुरा भदाना सेवा केन्द्र पर पेश हुयी। प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 उपस्थित। प्रार्थी बाबूराम सैनी उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अदम हाजरी व अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार रोकर रखकर रूम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

राजेन्द्र

सुरेन्द्र

Scanned by CamScanner